(वाद सं0–270/2018)

18.05.2022

प्रसंगाधीन मामला, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मनियारी थाना कांड सं0–254/17 के निष्पक्ष अनुसंधान किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित पुलिस उपाधीक्षक, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदनानुसार एक विमला देवी के फर्द बयान के आधार पर पांच नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध विपिन साह की हत्या के आरोप में भा0द0स0 की धारा–302 के अन्तर्गत मनियारी थाना कांड सं0–254/17, दिनांक–03.12.2017 संस्थित किया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ है कि मृतक, विपिन साह, का विवाह घटना के चार वर्ष पूर्व प्राथमिकी अभियुक्त सरिता देवी के साथ हुआ था, जिससे उसे एक तीन वर्ष का बच्चा भी है। चचेरे ससुर की मृत्यु की सूचना पर मृतक, विपिन साह, अपनी पत्नी सरिता देवी व बच्चे के साथ ससुराल में थे। मृतक, विपिन साह काफी नशा का सेवन करता था। मृतक द्वारा अपनी पत्नी को ससुराल से घर चलने का दबाव दिया जा रहा था जिस पर उसकी पत्नी द्वारा कहा गया कि श्राद्धकर्म होने के बाद वह जायेगी। तत्पश्चात् मृतक अकेले ससुराल से निकला तथा अगले सुबह मनियारी दुर्गा स्थान चौक के पास उसका शव पाया गया। तदोपरान्त मृतक की मां द्वारा मृतक की पत्नी एवं उसके ससुर एवं साला पर जहर खिलाकर हत्या कर देने के आरोप में प्रसंगाधीन कांड दर्ज कराया गया है। मृतक का अन्त्यः परीक्षण कराया गया। अन्त्यः परीक्षण में मृतक के भीतरी एवं बाहरी शरीर में कोई जख्म नहीं पाया गया। फलतः भिसरा सुरक्षित रख लिया गया। भिसरा प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना है। वैसे भी प्रसंगाधीन कांड वर्त्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है।

प्रसंगाधीन कांड को घटित हुए लगभग चार वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है तथा नर हत्या से संबंधित ऐसे गम्भीर कांड के इतनी लंबी अवधि तक अन्वेषणान्तर्गत रहने से मृतक के परिजन को अनुसंधान के संबंध में संशय होना स्वाभाविक है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधान को यथाशीघ्र समाप्त कर न्यायालय में आरोप पत्र/अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

राज्य आयोग द्वारा किसी भी आपराधिक कांड के अन्वेषणान्तर्गत रहने पर अनुसंधान के संबंध में तब तक कोई अनुशंसा नहीं की जाती है जब तक इससे किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं होता हो।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की एक प्रति **सूचनार्थ** व **आवश्यक कार्रवाई** हेतु **वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर** को भेजते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक